राजस्व प्रार्थना पत्र क्र. 17/2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिकिशात जज<br>कुम्भाराम व अन्य - बनाम - स्टेट व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| [illegible] | पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया । उभय पक्ष उपस्थित बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया कि ग्राम उदेशियां राजस्व ग्राम है जिसमें खसरा नम्बर 67 में 27 बीघा भूमि बन्दोबस्ती गैर मुमकीन आबादी दर्ज रिकार्ड है। ग्राम उदेशिया में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पहले से स्वीकृत आबादी भूमि कम पड जाने के कारण ग्रामवासियों के निवेदन पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के आदेश द्वारा दिनांक 15.10.1981 द्वारा ग्राम उदेशियां के खसरा नम्बर 62 की आराजी राज भूमि में से 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि आबादी के नाम इन्तकाल स्वीकृत हुआ। खसरा नम्बर 62 में 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तन करने के बाद ग्राम उदेशियां के लोग व प्रार्थीगण उक्त भूमि पर आबाद होकर अपने कच्चे पक्के मकान बनाकर रिहायश करने लगे तथा ग्राम पंचायत हंसेरा द्वारा प्रार्थीगण सहित ग्राम के अन्य व्यक्तियों को भी उक्त भूमि के आवासीय पट्टे दे दिए गए जिन पर प्रार्थीगण सहित 30–35 सालों से मकान बनाकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। खसरा नम्बर 62 में कुल रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा आराजी राज रकबा था उसमें से 22.16 बीघा आबादी में दे दिया तथा शेष रकबा आराजी राज दर्ज रहा लेकिन आबादी में दी गई भूमि का नक्शे में तरमीम उस समय नहीं की गई। अमलाजमाल द्वारा आबादी विस्तार हेतू खसरा नम्बर 62 में दी गई भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में मौके की जांच किए बगैर ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस सुनवाई का अवसर दिए बिना जिस जगह पर आबादी बसी हुई है उस जगह पर आबादी की तरमीम न करके खाली पड़ी आराजी राज भूमि पर आबादी के नाम तरमीम कर दी जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं। खसरा नम्बर 62 [illegible] को पश्चिम दिशा में तरमीम किया है [illegible] आबादी खसरा नम्बर 62 की पूर्व दिशा एवं उत्तर [illegible] में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 62 में आबादी भूमि की तरमीम मौके की बसावट के अनुसार तरमीम करवाने के हकदार हैं। अतः प्रार्थीगण वकील द्वारा पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर मौके पर आबाद आबादी के अनुसार तरमीम करने का आदेश हेतु निवेदन किया गया।<br>बहस उभय पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested

कथन किया गया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश क्रमांक 809 दिनांक 15.10.1981 द्वारा ग्राम उदेशियां के खसरा नम्बर 62 की आराजीराज भूमि मे से 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की जिसका राजस्व रिकार्ड व इंतकाल संख्या 64 द्वारा आबादी के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ बाद में अमलाजमाल द्वारा आबादी विस्तार हेतु खसरा नम्बर 62 में दी गई भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा मैं मौके की जांच किये बगैर जिस जगह आबादी बसी हुई है उस जगह पर आबादी बसी हुई है उस जगह आबादी की तरमीम न करके खाली पड़ी आराजी राज भूमि पर आबादी के नाम तरमीम कर दी। अमलाजमाल द्वारा खसरा नम्बर 62 में आबादी को पश्चिम दिशा में तरमीम किया है जबकि मौके पर आबादी खसरा संख्या 62 की पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 62 में आबादी भूमि की तरमीम मौके की बसावट के अनुसार तरमीम करवाने के हकदार है । अप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण के कथन अनुसार तरमीम शुद्धि करने का निवेदन किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा प्रार्थी के कथन के पत्रावली में दस्तावेज नहीं होने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवदेन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा तरमीमशुद्धि के प्रार्थना पत्र में अपने कथन के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश क्रमांक 809 दिनांक 15.10.181 आबादी विस्तार आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो सके की उक्त आवंटन खसरा नम्बर 62 में कौनसी दिशा में किया गया था। अतः प्रार्थीगण द्वारा मौजा रोही उदेशिया के खसरा नम्बर 62 तादादी 22 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी की नक्शें में पूर्व में की गई तरमीम गलत होना साबित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज [illegible] जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] मेरे द्वारा

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर